आर.सी.एम.एस. नम्बर 2021/205

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)**

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

## दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

## अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

**मुकदमा नम्बर :– 101/2021 (लियाकत आदि बनाम अदरीश आदि)**

निर्णय दिनांक :– 11.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.01.2023 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर स्थित भूमि ख0न0 856 रकबा 0.95 है0, ख0न0 857 रकबा 1.90 है0, ख0न0 858 रकबा 1.13 है0, ख0न0 859 रकबा 0.90 है0, ख0न0 860 रकबा 0.91 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.79 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में मोजदीखां उर्फ मोहरूखा पुत्र भोलेखां उर्फ मालेखां व अलीखां पुत्र भोलेखां उर्फ मालेखा का नाम हजफ किया जाकर लयाकत पुत्र भोलेखां के स्थान पर लियाकत पुत्र मालेखान, जैनदीखां पुत्र भोलेखां के स्थान पर जानुखान पुत्र मालेखान व श्योकत पुत्र भोलेखां के स्थान पर शोकत पुत्र मालेखां दुरूस्त किया जाता है तथा वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 लगायत 9 व प्रतिवादी संख्या 14 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 10, 11 व प्रतिवादी संख्या 13 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 11.01.2023 को जारी की गई।

11/1/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर